संख्या-39/2020/158/बावन-1-2020-12(पी0एम0जे0वी0के0)/20

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2020

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 18.01.2019 एवं 31.01.2019 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत **जनपद-बलरामपुर** के बलरामपुर में वर्किंग वोमेन हास्टल एवं **जनपद-बलरामपुर** के बलरामपुर में एग्रीकल्चर मार्केट शेड के निर्माण के लिए केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/21/2019-एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 05.03.2019 एवं पत्र संख्या-13/21/2019- एम.एस.डी.पी.-एम.ओ.एम.ए., दिनांक 15.02.2019 द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 340.65 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लि0** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 204.39 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 102.95 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख पन्चान्नबे हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 68.13 लाख (रूपये अरसठ लाख तेरह हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 170.325 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-4235-02-800-01 में खोले गये नया उपलेखा शीर्षक-0122 में प्राविधानित बजट रू0 0.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-4235-02-800-01 में खोले गये नया उपलेखा शीर्षक-0121 में प्राविधानित बजट रू0 0.00 लाख तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार **पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत/व्यवस्थित धनराशि रू0 170.325 लाख से** अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

http://shasanadesh.up.gov.in

(के0-60/रा0-40) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित **प्रथम** किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**बलरामपुर**	वि0ख0 बलरामपुर में वर्किंग वोमेन हास्टल का निर्माण।	01	250.00	150.00	100.00	250.00	75.00	50.00	125.00
		वि0ख0 बलरामपुर में एग्रीकल्चर मार्केट शेड का निर्माण	01	90.65	54.39	36.26	90.65	27.195	18.13	45.325
		योग	**02**		**204.39**	**136.26**	**340.65**	**102.95**	**68.13**	**170.325**

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -1/2019/बी0-1-170/दस/ 2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(15)(ख) में निर्धारित व्यवस्था निम्नवत् है:-

" यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते है, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।** बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। **यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।** निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

http://finsanadesh.up.gov.in

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों एवं अधिष्ठान व्यय मद का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण का मानक वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

(7)- **परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।** इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 एवं 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- **उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।** अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

(18)- **निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय ।** सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से पूर्व परियोजना के लिए र्निविवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के नया लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0122- प्रधानमंत्री जन विमास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत वर्किंग वोमेन हास्टल का निर्माण(के0 60-रा0 40-के0+रा0)-**24-वृहद निर्माण कार्य" एवं नया लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-**0121-प्रधानमंत्री जन विमास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत एग्रीकल्चर मार्केट शेड का निर्माण(के0 60-रा0 40-के0+रा0)-**24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा। **यह धनराशि लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास(के0 60-रा0 40-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा की जायेगी।**

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-299/दस-2020, दिनांक 20.03.2020 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-158(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

UniCode Gov. Inter College. G.O1

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **बलरामपुर** ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in